कार्यालय कलेक्टर जिला–खण्डवा (म.प्र)

क्रमांक/मोबि./आर.टी.ई/जि.शि.के./2019/689

खण्डवा,दिनांक– 11/4/19

प्रति,

संस्था प्रमुख/संचालक
अशासकीय शाला St. plus Sr. Secondary School (MLB)
विकासखण्ड– Khandwa
जिला खण्डवा

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र।

संदर्भः–1. कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र खण्डवा का पत्र क्र./जिशिके/आर.टी.ई./2019/253/खण्डवा दिनांक 15.03.2019।
2.कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र खण्डवा का पत्र क्र./जिशिके/आर.टी.ई./2019/161/खण्डवा दिनांक 25.01.2019।
3.कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा का पत्र क्र./जिशिके/आर.टी.ई./2019/710/खण्डवा दिनांक 25.04.2018।
4.कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा का पत्र क्र./जिशिके/आर.टी.ई./2018/1715/खण्डवा दिनांक 29.09.2018।
5.कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र खण्डवा का पत्र क्र./जिशिके/आर.टी.ई./2018/1564/खण्डवा दिनांक 07.09.2018।
6.संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क्र/राशिके/5711/2018/भोपाल दिनांक 05.09.2018।
7.कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र खण्डवा का पत्र क्र./जिशिके/आर.टी.ई./2018/140/खण्डवा दिनांक 24.01.2018।
8.संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क्र/राशिके/318/2018/भोपाल दिनांक 15.01.2018।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र क्रमानुसार लेख है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सत्र 2016–17 की फीसप्रतिपूर्ति की प्रकिया फरवरी 2018 से प्रारंभ हुई थी जिसके उपरांत दिनांक 20.02.2018 को जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर आपको उपरोक्त वर्ष की फीसप्रतिपूर्ति हेतु पी.पी.टी. के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया से अवगत कराया गया था तथा विभाग के वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के माध्यम से पत्राचार कर नियमित रुप से फीसप्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।समय–समय पर राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा निर्धारित किस्तों में फीसप्रतिपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया एवं नोडल के माध्यम से भी आपको समय–सीमा में प्रपोजल प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया गया।

इसके उपरांत अन्तिम चेतावनी पत्र दिनांक 29.09.2018 को जारी कर प्रपोजल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था इसके बावजूद आज दिनांक तक आपके द्वारा फीसप्रतिपूर्ति का प्रपोजल फॉरवार्ड नहीं किया गया है जिसके कारण फीसप्रतिपूर्ति का प्रकरण लम्बे समय से लंबित है।

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा सत्र 2017–18 की फीसप्रतिपूर्ति प्रक्रिया शुरु कर दी गई है किन्तु आपकी संस्था की सत्र 2016–17 का फीसप्रतिपूर्ति शेष है।

अतः क्यों न बार–बार निर्देशों की अवहेलना करने के कारण आपकी संस्था की मान्यता समाप्ति की कार्यावाही की जावे। इस सम्बंध में आप अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान जिला खण्डवा के समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय–सीमा में सामधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की दशा में एक पक्षीय कार्यावाही करते हुए आपकी संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिए संस्था प्रमुख/संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर
जिला– खण्डवा

पृ.क./मोबि./आर.टी.ई/जि.शि.के./2019/690

खण्डवा,दिनांक– 11/4/19

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कलेक्टर, जिला खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला शिक्षा अधिकारी जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
05. विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक समस्त जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. सम्बंधित संस्था के नोडल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला– खण्डवा